राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1610/2025

शिवलाल धाकड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी श्यामपुरा, बिजोलिया, जिला भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.एस. भारद्वाज/सचिन कुमार भारद्वाज, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पीएचसी श्यामपुरा, बिजोलिया, जिला भीलवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, धोरीमन्ना, बाडमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का हाल ही में दिनांक 16.01.2025 को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर फ्रैक्चर हो गया है और चिकित्सक द्वारा उसे पूर्ण रूप से बैड रेस्ट की सलाह दी गई है जिसका निरंतर उपचार भी चल रहा है, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण 415 कि.मी. दूर किया गया है और बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है एवं आदेश दि. 21.01.2025 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये आलोच्य आदेश स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण श्यामपुरा बिजोलिया, भीलवाडा से धोरीमन्ना, बाडमेर किया गया है। अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के सड़क दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण अपीलार्थी चलने–फिरने में मजबूर है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.01.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)